फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

आम जनता अगावली जरिए कालूराम वगै0 बनाम रामस्वरूप वगै0

किस्म मुकदमा–दावा आदेशात्मक स्थायी निषे0 मु0नं0–176/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया है कि वादीगण द्वारा यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 188 के तहत पेश किया जाता है उक्त धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अवैध बेदखली के विरूद्ध स्थाई व्यादेश मात्र आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र हिस्से पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है या अतिक्रमण की धमकी दी जाती है तो चिरस्थायी व्यादेश हेतु वाद पेश कर सकता है। इस वाद में वादी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहे है लेकिन वादीगण उक्त भूमि में खातेदार नहीं है उनको काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त वादपत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा आराजी भूमि खसरा नम्बर 469/701 किस्म गै0मु0 रास्ता के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है चूंकि उक्त भूमि गै0मु0 रास्ते की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यानुसार उक्त भूमि में वादीगण खातेदार भी नहीं है एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु संबंधित भूमि में खातेदार होना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	